

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-2343 / सत्तर-1-2021-16(26) / 2019
लखनऊ : दिनांक ३० दिसम्बर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-4 की उप धारा (1-ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रो० हृदय शंकर सिंह, प्रोफेसर एण्ड हेड, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर का अन्तरिम (प्रथम) कुलपति नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मोनिका एस० गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2343(1) / सत्तर-1-2021-तददिनांक

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आदेश का प्रकाशन कराकर उसकी ५० प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।


(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-2343(2) / सत्तर-1-2021-तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (3) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (6) प्रो० हृदय शंकर सिंह, प्रोफेसर एण्ड हेड, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (7) कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (8) कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
- (9) समर्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम जन्म चौहान)
अनु सचिव।